an>

Title: Need to include Caste Census in Census 2021.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (**नालंदा**): अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी इस मामले को उठाते हए कहा था कि हमारा देश जातिगत समाज है । तो प्रश्न यह उठता है कि किन-किन जातियों की संख्या कितनी है । क्योंकि संख्या बल ही समाज में उस जाति के अस्तित्व का निर्धारण करगा । मुख्यतः आरक्षण को ही आधार मान लिया जाए तो अजा/अजजा/ओबीसी और जनरल कैटेगरी की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है । यह संविधान की मूल व्यवस्था और भावना में भी निहित है । अगर देश में जाति आधारित जनगणना कर आँकड़े जुटा लिए जाएं, तो यह आसान होगा कि आरक्षण व्यवस्था एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में किसी कैटेगरी की अनदेखी तो नहीं की जा रही है । इसी को आधार मानकर हमारे नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह माँग उठाते आ रहे हैं कि एक बार केन्द्र सरकार जातिगत आधारित जनगणना अवश्य कर ले । इससे सारी स्थिति साफ हो जायेगी और किसी प्रकार की जो दुविधा (कंफ्युजन) लोगों में हो रही है वह समाप्त हो जायेगी । जातिगत जनगणना के विषय में बिहार विधान मंडल से वर्ष, 2019 और 2020 में दो-दो बार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है कि देश में अगली जनगणना में जातिगत आधार को भी शामिल किया जाये ।

ऐसा नहीं है कि पहले कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई है । 1931 में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसी ही जनगणना हुई थी । इसमें यह तथ्य सामने आये कि ओ.बी.सी. 52 प्रतिशत, एस.सी. 15.5 प्रतिशत और एस.टी. लगभग 7 प्रतिशत की आबादी के अनुपात में हैं । सम्भवतः यही आधार मंडल कमीशन में भी आया था । यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2011 में सोसियो इकोनामिक और जाति आधारित जनगणना कराई गई । किन्तु सरकार इसे पूर्णरूपेण प्रकाशित नहीं कर रही है । कुछ पैरा तो प्रकाशित किये गये, लेकिन जातिगत आँकड़ों को रोक लिया गया है । काफी हो-हल्ला के बाद फिर 2014 में इसे नीति आयोग को विश्लेषण के लिए सौंपा गया तथा बाद में सामाजिक न्याय और

अधिकारिता एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर उसको निगरानी दी गई । अब कहा जा रहा है कि आँकड़े त्रुटिपूर्ण हैं और इससे सही आँकड़े पर पहुंचना मुश्किल है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये और राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाये । इस प्रकार देश के लोगों में जो भिन्न-भिन्न राय है, उनको पूर्ण आँकड़ मिल जायेंगे । साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि रिज़र्वेशन का साइंटीफिक आधार होना जरूरी है, इसलिए जातिगत जनगणना के आँकडे, सुप्रीम कोर्ट की माँग को भी पूरा करेगा ।

HON. CHAIRPERSON: The statement under Rule 377 has to be confined to 250 words. I think, this is more than 375 words.

Shri Anubhav Mohanty.